

श्रीचन्द कूपलानी

माननीय मंत्री नगरीय विकास स्वायत्त शासन
व आवासन विभाग, राजस्थान सरकार



श्रीमती वसुन्धरा राजे

माननीय मुख्यमंत्री
राजस्थान सरकार



प्रो. (डॉ.) महेन्द्रसिंह राठौड़

अध्यक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण



जोधपुर विकास प्राधिकरण

रामराज नगर आवासीय योजना

(अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित)

आवेदन पुस्तिका



कुल आवासीय भूखण्ड - 429

आवेदन पत्र विक्रय आरम्भ तिथि - 04.10.2017

आवेदन पत्र विक्रय एवं जमा करवाने की अंतिम तिथि - 31.10.2017

आवेदन पत्र शुल्क 500/- रुपये मात्र

Newly Launched Products : Mortgages



Shubh Aarambh Home Loans

4 EMIs waived after 4th, 8th and 12th year

Maximum Loan Amount : INR 30 Lakhs

Minimum loan tenure: 20 years

Additional benefit of govt. interest subsidy, if eligible



Fast Forward Home Loans

6 EMIs waived at the end of 10th and 15th year

For loan amount above INR 30 lakhs

Minimum loan tenure: 20 years

No extra cost/ documentation




PMAY Home Loans

Special product for Credit Linked Subsidy Scheme customers

LTV of upto 85% across all variants of ASHA Home Loan

Maximum loan amount of Rs.15 Lakhs

Applicable for select approved projects in Gujarat ,TN, ROMG, Rajasthan & Mumbai locations



Straightline OD Facility

Overdraft limit remains constant throughout the tenure of the loan

Credit Limit - 5 lakh to 5 Cr

Term - Min- 1 yr to 10yr

Exclusively for ETB customers : Resident Individuals

- 1) Salaried Professional
- 2) SEP
- 3) SENP

रामराज नगर आवासीय योजना में शेष रहे भूखण्डों को अधिवक्ताओं को आवेदन करने हेतु प्रस्तुत है। योजना में आवंटन हेतु भूखण्डों की कुल संख्या 429 निर्धारित है, जिनकी संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। भूखण्डों का आवंटन लॉटरी पद्धति से किया जावेगा। रामराज नगर आवासीय योजना (ग्राम चौखा पर स्थित) की शर्तें, भूखण्डों की दर, भूखण्डों की साईज आदि बिन्दुओ का उल्लेख कर दिया गया है।

अतः उक्त योजना में आवेदन कर लाभ उठावें।


शुभकामनाओं सहित

प्रोफेसर (डॉ.) महेन्द्रसिंह राठौड़
अध्यक्ष
जोधपुर विकास प्राधिकरण

दुर्गेश कुमार बिस्सा
आयुक्त RAS
जोधपुर विकास प्राधिकरण

अरूण कुमार पुरोहित
सचिव RAS
जोधपुर विकास प्राधिकरण

रामराज नगर आवासीय योजना



KEY PLAN
ORIENTATION
N
↓

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज

- | | |
|---|---|
| 1. आवेदन पत्र आवेदन पुस्तिका में उल्लेखित बैंक के माध्यम से प्राप्त किये जा सकते हैं। पूर्ण फार्म निर्धारित पंजीयन राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम उक्त बैंक में जमा होंगे। | 3. पैन कार्ड की स्व अनुप्रमाणित प्रति |
| 2. राजस्थान बार एसोसिएशन का पंजीयन प्रमाण-पत्र की स्वअनुप्रमाणित प्रति। | 4. मूल निवास प्रमाण पत्र की स्वअनुप्रमाणित प्रति। |
| | 5. यदि आरक्षित वर्ग में आवेदन किया है तो संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करें। |
| | 6. देय राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/स्थानीय चैक/पै-आर्डर से भुगतान आवेदन पुस्तिका में उल्लेखित बैंक में किया जावेगा। |

ध्यान देने योग्य बातें

1. अनुमोदित आवासीय योजनाओं में ही भूखण्ड खरीदें।
2. नियमानुसार नियमन शुल्क जमा करवाकर पट्टा प्राप्त करें।
3. नियमानुसार निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर निर्माण करावें।
4. नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर भूखण्डों का हस्तांतरण करें।
5. अवैध अनियमित योजनाओं में भूखण्ड नहीं खरीदें।
6. कोई भी भूखण्ड खरीदने से पूर्व बेचानकर्ता/विकासकर्ता/डीलर से जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित ले-आउट प्लान मांगें।
7. भूखण्ड खरीदने से पूर्व ले-आउट अवश्य देखें, निर्धारित शुल्क पर भुगतान कर जोधपुर विकास प्राधिकरण से अनुमोदित ले-आउट प्लान की प्रमाणित प्रति भी प्राप्त की जा सकती है।
8. अनुमोदित योजनाओं के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण की भूमि रूपान्तरण शाखा, आयोजना शाखा से सम्पर्क करें।

अपने राजस्थान की संस्कृति एवं पर्यावरण से प्रेम करें एवं उसकी रक्षा करें



जोधपुर विकास प्राधिकरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेल्वे अस्पताल के सामने रातानाडा जोधपुर – 342001

email- jdajodhpur-rj@nic.in

www.jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2615372

1. प्रस्तावना

शौर्य, पराक्रम और बहुरंगी संस्कृति से धनी राजस्थान का गौरव जोधपुर जहां सूर्य नगरी के रूप में लब्ध प्रतिष्ठित हैं वही प्राचीनकाल से ही अपने अनुकरणीय नगर नियोजन के लिये भी ख्यात है। भुवन भास्कर जहां अपनी रश्मियों से सर्वप्रथम इस निराली नगरी को आलोकित करते हैं, वही इस पावन भूमि के साथ इसका ऐतिहासिक गौरव भी इसके उजाले को बहुगुणित करता है। 21 वीं शताब्दी में चहुँदशी प्रगति के सोपान चढ़ कर जोधपुर ने विकास के कई आयाम स्थापित किये हैं। वर्तमान में शहर के आशातीत विस्तार के साथ ही बढ़ रही आवासीय सुविधाओं की जरूरत को साकार करने की दिशा में जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गंगा विहार आवासीय योजना बनाई गई है जो नगर नियोजन की अति आधुनिक विशेषताओं से परिपूर्ण होगी। राजस्थान सरकार के नियोजित एवं परिपूर्ण विकास तथा सब के लिए आवास की नीति के निर्देशों के क्रम में योजना में पर्यावरण संरक्षण, जन सुविधाओं एवं निम्न तथा कमजोर आय वर्ग के व्यक्तियों को सस्ता भूखण्ड उपलब्ध कराने की दृष्टि से सभी आवश्यक प्रावधान किये गये हैं।

तत्कालीन नगर विकास न्यास जोधपुर द्वारा वर्ष 2008 में 497 अधिवक्ताओं को भूखण्ड आवंटन लॉटरी द्वारा रामराज नगर में किये गये थे। माननीय उच्च न्यायालय में अधिवक्ताओं द्वारा पीआईएल दर्ज करने के पश्चात् माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार अधिवक्ताओं और प्राधिकरण के बीच बैठक हुई जिसमें कार्नर के 177 भूखण्ड तथा 252 सामान्य भूखण्ड कुल 429 भूखण्डों का लॉटरी द्वारा आवंटन किये जाने की सहमति हुई। तत्पश्चात् प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति को रखा गया जिस पर निर्णय लिया गया कि प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जाये। राज्य सरकार के पत्रांक 4(18) नविवि/जो./2016 दिनांक 9.8.2017 के अनुसार 429 भूखण्डों का लॉटरी द्वारा आवंटन करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। कार्नर भूखण्ड के आवंटन पर 10 प्रतिशत वसूल करने के निर्देश दिये।

रामराज नगर आवासीय योजना जोधपुर के राजस्व ग्राम चौखा के खसरा संख्या 76 में स्थित है। योजना जोधपुर रेल्वे स्टेशन से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रामराज नगर आवासीय योजना में लोगों को नियोजित ढंग से बसाने के लिये आधुनिकतम सुविधाओं के विकास, रचनात्मक कार्य हेतु स्थान एवं व्यवस्था उपलब्ध कराने की ओर विशेष ध्यान रखा गया है। उक्त योजना में आवासीय जल निकासी एवं सीवरेज की सुचारु व्यवस्था की गई है। योजना में विद्युत एवं पेयजल हेतु सुचारु व्यवस्था की गई है। पेयजल के रूप में नहरी स्वच्छ उपचारित पानी उपलब्ध होगा। उक्त योजना में आवासीय सुविधाओं के साथ साथ प्रकृति और पर्यावरण के प्रति मानवीय नैतिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए नियमानुसार क्षेत्र में पार्क एवं पर्यावरण संरक्षण पार्क प्रस्तावित किये गये हैं। योजना में सड़क के साथ साथ वृक्षारोपण करते हुए हरियाली का पर्याप्त ध्यान रखा गया है विश्वास है जोधपुर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामरिक, और रचनात्मक रूप से अब तक जो पहचान रही है उसमें सर्वथा नया अध्याय जोड़ने में यह योजना कारगर ही नहीं, कामयाब भी साबित होगी।

2. आय वर्गवार निर्धारित भूखण्डों का विवरण एवं भूखण्डों की देय कीमत निम्नानुसार है।

क्र. सं.	आवेदक का वर्ग	प्लॉट की साईज व व.मी. से अधिक न हो	भूखण्डों की संख्या	वसूली योग्य दर
1	जिनकी आय 10,000/-प्रतिमाह से अधिक न हो	45 वर्गमीटर	101	आरक्षित मूल्य
2	जिनकी आय 10,001 से 15,000/- प्रतिमाह तक हो	46 से 90 वर्गमीटर	65	आरक्षित मूल्य
3	15,001/- से 30000/- तक प्रतिमाह	91 से 220 वर्गमीटर	171	आरक्षित मूल्य
4	जिनकी आय 30,001/- से 45,000/- प्रतिमाह तक हो	221से 350 वर्गमीटर	71	आरक्षित मूल्य का 115 प्रतिशत
5	जिनकी आय 45,001/- से 65,000/- प्रतिमाह तक हो	351 से 500 वर्गमीटर	20	आरक्षित मूल्य का 130 प्रतिशत
6	जिनकी आय 65,000/- से 85,000 प्रतिमाह तक हो	501 से 600 वर्गमीटर	1	आरक्षित मूल्य का 150 प्रतिशत
7	जिनकी आय 85,000/- से अधिक प्रतिमाह हो	601 से 750 वर्गमीटर	-	आरक्षित मूल्य का 200 प्रतिशत

3. लॉटरी में कोई भी भूखण्ड कार्नर का आवंटित होने पर उसके निर्धारित मूल्य में 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि वसूल की जायेगी।

4. योग्यता से आपका अभिप्राय- आपके आय वर्ग अनुसार निर्धारित होती है। तदनुसार आप अपने पात्रता सुनिश्चित करें। कृपया आवेदन पत्र में क्रमांक 7 की पूर्ति हेतु अपना सही आय वर्ग सुनिश्चित करें।

5. वर्ग अनुसार आरक्षण की पात्रता- आवेदक को वर्गानुसार निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है।

अ. सामान्य ब. अनुसूचित जाति स. अनुसूचित जनजाति द. विकलांग

आरक्षित वर्ग का लाभ उठाने के लिये उन्हें सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र लगाना होगा।

वर्गानुसार आरक्षण की परिभाषा - अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के सदस्य वह व्यक्ति है जो राजस्थान की जनगणना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध है। ऐसे व्यक्ति को राजस्थान सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

विकलांग व्यक्ति वह है जो शारीरिक योग्यता के कारण विकलांग हो चुके है तथा राज्य सरकार के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित है।

अनुसूचित जाति के लिये	अनुसूचित जन जाति के लिये	निःशक्त जन के लिये	सामान्य
9 प्रतिशत	6 प्रतिशत	2 प्रतिशत	83 प्रतिशत

4. योजना की आरक्षित दर

राजस्थान नगरीय विकास निकाय (भूमि निष्पादन) नियम 1974 के नियम 6 के तहत योजना में भूखण्डों की आरक्षित दर प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार निर्धारित की गई है।

आवासीय :- 5940/- रू प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की गई है।

5. लॉटरी के माध्यम से पारदर्शी आवंटन व्यवस्था

योजना में भूखण्डों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से होगा। लॉटरी राज्य सरकार के संस्थान एन.आई.सी द्वारा सार्वजनिक रूप से निकाली जायेगी व परिणाम जोधपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर डाले जायेंगे।

6. पात्रता

1. आवेदक का राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. आवेदक का भारत में स्थित किसी भी बैंक में खाता होना चाहिए और आवेदक आवेदन पत्र में उसका विवरण अवश्य भरें। यह माना जाता है कि बैंक ने ऐसे खातों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के के.वाई.सी. मानको का पालन किया है।
3. आवेदक के पास आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित स्थाई खाता संख्या पैन होना चाहिए। (जिस पर लागू हो)
4. राजस्थान बार एशोसियेशन का पंजीकरण प्रमाण पत्र
5. यह है कि मेरे पति/पत्नी/परिवार के मुझ पर आश्रित के पास राजस्थान राज्य में वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार 50000 से अधिक आबादी वाले किसी शहर में कोई पूर्ण अथवा अपूर्ण लीज होल्ड अथवा फ्री होल्ड आवासीय भूखण्ड अथवा मकान नहीं है।

7. सकल आय ही पात्रता का आधार

भूखण्डों की कीमत आवेदक की प्रमाणित पारिवारिक सकल आय (Gross Income) पर निर्भर है। आवेदकों के आय वर्ग निर्धारण हेतु आय की संगणना आवेदक की दिनांक 01.07.2017 को कुल मासिक पारिवारिक आय के आधार पर की जावेगी। कुल आय में निम्नांकित स्रोतों से हुई आय सम्मिलित होगी।

(क) स्वयं के लिये

1. गृह/सम्पत्ति/व्यापार/व्यवसाय/पेशे कृषि आदि से सकल आय।
2. विनियोग से ब्याज द्वारा अर्जित आय।
3. कोई अन्य आय जो आयकर के प्रयोजनों हेतु आय के रूप में सम्मिलित करने योग्य हो।

(ख) उपर्युक्त (क) 1 से 04 तक के संबंध में पति/पत्नी की आय (सकल आय में पति, पत्नी व आश्रित की आय सम्मिलित होगी)

(ग) उपर्युक्त (क) 1 से 04 तक के संबंध में आश्रितों की आय (सकल आय में पति, पत्नी व आश्रित की आय सम्मिलित होगी) निर्धारित प्रपत्र में ही आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे।

नोट:-

1. आवंटन के लिए उपलब्ध भूखण्डों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है।
2. एक आवेदक किसी एक ही वर्ग (आय के अनुसार) के भूखण्ड पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। एक से अधिक आय वर्ग में आवेदन करने पर दोनों ही आवंटन पत्र निरस्त कर दिए जायेंगे।
3. आवेदन पत्र में आय वर्ग के कॉलम को भरते समय ध्यान रखें कि आपकी मासिक आय से भिन्न वर्ग में आवेदन करने पर/टिक करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा और गलत सूचना/मिथ्यावर्णन मानते हुए पंजीकरण राशि जब्त कर ली जावेगी। अतः आय के अनुसार निर्धारित वर्ग के भूखण्ड के लिए ही आवेदन करें। आयवर्ग क्रमशः 6, 7 के आवेदक क्रमशः 5 की आयवर्ग में आवेदन कर सकते हैं किन्तु आयवर्ग स्वयं के अनुसार भूखण्ड की कीमत देय होगी।

8. आवेदन पत्र के साथ देय पंजीकरण राशि

क्र. सं.	आवेदक का वर्ग	प्लॉट की साईज व व.मी. से अधिक न हो	वसूली योग्य दर	देय पंजीकरण राशि
1	जिनकी आय 10,000/-प्रतिमाह से अधिक न हो	45 वर्गमीटर	आरक्षित मूल्य	10000.00
2	जिनकी आय 10,001 से 15,000/- प्रतिमाह तक हो	46 से 90 वर्गमीटर	आरक्षित मूल्य	15000.00
3	15,001/- से 30000/- तक प्रतिमाह	91 से 220 वर्गमीटर	आरक्षित मूल्य	20000.00
4	जिनकी आय 30,001/- से 45,000/- प्रतिमाह तक हो	221 से 350 वर्गमीटर	आरक्षित मूल्य का 115 प्रतिशत	30000.00
5	जिनकी आय 45,001/- से 65,000/- प्रतिमाह तक हो	351 से 500 वर्गमीटर	आरक्षित मूल्य का 130 प्रतिशत	35000.00
6	जिनकी आय 65,000/- से 85,000 प्रतिमाह तक हो	501 से 600 वर्गमीटर	आरक्षित मूल्य का 150 प्रतिशत	40000.00
7	जिनकी आय 85,000/- से अधिक प्रतिमाह हो	601 से 750 वर्गमीटर	आरक्षित मूल्य का 200 प्रतिशत	40000.00

भूखण्ड का आकार विवरण पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 4 पर देखें

- चालान द्वारा सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम से केवल बैंक ड्राफ्ट /पे-आर्डर जो जोधपुर में देय हो के माध्यम से ही जमा करायी जा सकती है। नकद/चैक स्वीकार नहीं होंगे।
- पे-आर्डर/ड्राफ्ट के पीछे आवेदक का नाम, पता, फार्म संख्या, आयवर्ग व आरक्षण श्रेणी तथा संपर्क केन्द्र दूरभाष नं. आवश्यक रूप से अंकित करें।

असफल आवेदकों की पंजीयन राशि उनके बैंक खाते में जमा करा दी जाएगी जिसके लिए आवेदक को उसके बैंक खाते का हस्ताक्षर शुदा निरस्त एक चैक जमा कराना आवश्यक है।

9. मांगी गई राशि के भुगतान की प्रक्रिया

पंजीयन राशि को समायोजित करने के पश्चात शेष बकाया राशि आवंटन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर नकद एक मुश्त जमा करानी होगी।

नोट

- सफल आवेदकों की मांग राशि निर्धारित अवधि 30 दिवस में जमा नहीं होने की स्थिति में आवंटन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 30 दिवस गुजरने के बाद आगामी 60 दिवस तक 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर ब्याज सहित जमा करवाई जा सकती है, किन्तु ब्याज आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से देय होगा।
- आवंटन पत्र प्राप्त होने की तिथि से 90 दिवस में उक्त राशि जमा न होने की स्थिति में भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त माना जायेगा। भूखण्ड निरस्त करने की कोई सूचना जारी नहीं की जायेगी।

3. राशि जमा करवाने की अवधि आवंटन पत्र प्राप्ति के दिन से प्रारंभ होगी अतः आवंटन पत्र प्राप्ति के हस्ताक्षर पर तिथि अंकित करे व डाक का लिफाफा भी साक्ष्य हेतु संभाल कर रखें।
4. आवंटित भूखण्ड की लीजराशि की गणना योजना की आरक्षित दर से की जायेगी।

10. जमा पंजीकरण राशि पर देय ब्याज

1. सफल आवेदको की जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। प्राधिकरण आवंटित भूखण्ड के बदले अन्य भूखण्ड देने के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
2. असफल आवेदक द्वारा अपनी जमा राशि 90 दिनों की समयावधि में प्राप्त कर लेना आवश्यक है, प्राधिकरण के आवेदन राशि जमा करने एवं असफल आवंटनकर्ता को राशि लौटाने हेतु MOU अनुसार AXIS Bank को अधिकृत किया गया है। निर्धारित अवधि में आवेदन राशि वापस प्राप्त नहीं होती है तो उक्त बैंक से पत्राचार करें तथा नहीं लौटाने पर प्राधिकरण को अवगत करना होगा। विलम्ब के लिये स्वयं आवेदक जिम्मेदार होगा।
3. असफल आवेदको को लॉटरी की तिथि से 6 माह तक कोई ब्याज देय नहीं होगा। इसके पश्चात विलम्बित अवधि के लिये राशि वापसी की दिनांक तक 6 प्रतिशत ब्याज देय होगा। निरस्त हुए आवेदन पत्रों के आवेदको को कोई ब्याज देय नहीं होगा।

11. भूखण्ड की कीमत के अलावा अन्य जमा योग्य राशि

1. आपको निर्धारित दर से वार्षिक शहरी जमाबंदी (अरबन असेसमेन्ट) अगले वित्तीय वर्ष के लिये अग्रिम रूप से प्रति वर्ष 31 मार्च तक जमा करवानी होगी। शहरी जमाबंदी वर्तमान आरक्षित दर की 1.25 प्रतिशत प्रथम 05 वर्ष के लिये व इसके पश्चात 2.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष देय होगी। प्रथम वर्ष की जमाबंदी की राशि अग्रिम जमा करवानी होगी इस राशि के प्रतिवर्ष के भुगतान से मुक्त होने के लिये 2.50 प्रतिशत की दर से 8 वर्ष की एकमुश्त राशि जमा करवानी होगी।
2. राज्य सरकार या स्थानीय निकाय समय समय पर जो भी कर, किराया तय करती है वह आवेदक पर भी लागू होगा। आवेदक पर राज्य सरकार एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा समय समय पर प्रसारित नियम आदेश भी लागू होंगे।
3. स्थल मानचित्र कें 100/-रु भूखण्ड की कीमत के अलावा जमा करवाने होंगे।

12. अन्य महत्वपूर्ण शर्तें

1. एक व्यक्ति द्वारा एक से अधिक भूखण्ड के लिये या एक से अधिक श्रेणी में आवेदन करना वर्जित है। ऐसा करने पर मिथ्या घोषणा व कपट मानते हुए सभी आवेदन पत्र निरस्त कर सम्पूर्ण अग्रिम राशि जब्त कर ली जायेगी।
2. यदि आवेदक स्वयं, पत्नी पति व आश्रित सदस्य द्वारा योजना में भूखण्ड आवंटन हेतु एक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाते है एवं एक से अधिक सदस्य सफल होते है तो उस स्थिति में भूखण्ड परिवार के एक ही व्यक्ति को मिलेगा। शेष परिवार/आश्रित सफल आवेदकों के भूखण्ड आवंटन नहीं किये जायेंगे व जमा राशि में से 05 प्रतिशत राशि काट कर शेष राशि लौटा दी जायेगी। आवंटित जिस सदस्य का भूखण्ड आप रखना चाहते है उसकी राशि आवंटन पत्र प्राप्ति से 30 दिवस में जमा करवानी होगी एवं एक ही भूखण्ड प्राप्त किये जाने का शपथ पत्र देना होगा।
3. भूखण्ड 99 वर्ष की लीज पर आवंटित किये जायेंगे।
4. सामान्यतया आवंटी आवंटित भूखण्ड का 10 वर्ष की अवधि तक विक्रय अथवा हस्तांतरण नहीं कर सकता किन्तु यदि कोई व्यक्ति भूखण्ड को 10 वर्ष पूर्व विक्रय करना चाहता है तो ऐसे विक्रय के लिये उससे योजना की प्रचलित आरक्षित दर की 5 प्रतिशत की दर से शुल्क वसूल कर नियमानुसार किये गये विक्रय पत्र अथवा दस्तावेजों के आधार पर हस्तांतरण की अनुमति दे दी जायेगी।

5. आवंटी को लीजडीड पंजीयन का खर्च स्वयं वहन करना होगा एवं पंजीयन विभाग के परिपत्र के अनुसार पट्टा जारी होने की दिनांक से 02 माह के अंदर पंजीयन करवाना होगा।
6. भूखण्ड आवंटी को 05 साल की अवधि में भवन निर्माण पूर्ण करवाना होगा। अगर नियत समयावधि में मकान का निर्माण नहीं कराया गया तो भूखण्ड का आवंटन स्वतःनिरस्त समझा जायेगा तथा आवंटी भविष्य में भूखण्ड आवंटन का पात्र नहीं होगा साथ ही उसके द्वारा जमा करवाई गई राशि जब्त कर ली जायेगी।
7. आवंटन में प्राप्त भूखण्ड केवल आवासीय उपयोग में लिया जा सकेगा अन्य किसी प्रायोजन में नहीं। आवंटन किये गये भूखण्ड का पुनःविभाजित अथवा एक से अधिक भूखण्ड को मिला कर एक बड़ा भूखण्ड नहीं बनाया जा सकता है।
8. नियम विरुद्ध एवं गलत सूचना देने पर आवेदन पत्र व आवंटन निरस्त किया जा कर भूखण्ड के पेटे जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी तथा उन्हें भविष्य में आवासीय भूखण्ड के लिये आवेदन करने हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा। साथ ही ऐसे आवेदनकर्ता के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
9. प्राधिकरण बिना सूचना दिये हुए आवंटन की शर्त बदलने का हक रखता है एवं बिना सूचना दिये योजना का मानचित्र बदलने का अधिकार प्राधिकरण के पास सुरक्षित रहेगा।
10. योजनान्तर्गत आवंटित भूखण्ड के आंतरिक विकास समतलीकरण सफाई आदि के लिये प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा।
11. किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद के संबंध में न्यायिक क्षेत्राधिकार जोधपुर ही रहेगा।
12. इस योजना में भूखण्डों की खरीद हेतु बैंको/वित्तीय संस्थाओं से ऋण सुविधा उपलब्ध हो सकेगा, इस हेतु प्राधिकरण द्वारा ऋण उपलब्ध करवाने वाले बैंको/वित्तीय संस्थानों से त्रिपक्षीय अनुबंध किया जा सकेगा। त्रिपक्षीय अनुबंध का प्रारूप प्राधिकरण से प्राप्त किया जा सकता है त्रिपक्षीय अनुबंध प्राधिकरण द्वारा नियत प्रारूप में ही मान्य होंगे।
13. आवंटित भूखण्ड पर निर्माण व विकास के लिये राज.नगरीय क्षेत्र (भवन विनियम) 2010, पर्यावरण स्वीकृति में लगायी गई शर्तों एवं समय समय पर राज्य सरकार/प्राधिकरण के निर्देशों की पालना बाध्यकारी होगी।
14. किसी भी प्रकार के वाद विवाद की स्थिति में आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर का निर्णय अंतिम होगा।
15. कृपया चालान की सभी प्रतियों में आपसे संबंधित जानकारी आवश्यक भरें।
16. आवेदन पत्र में आवेदक का नवीनतम रंगीन फोटो राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करवाकर चिपकाना आवश्यक है।
17. इन सभी प्रमाण पत्रों के प्रारूप इस पुस्तिका में पीछे दिये गये हैं। अधिकारी श्रेणी व पद भी प्रारूप में दर्शाये गये हैं। इन प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने में कोई त्रुटि नहीं करे अन्यथा आपका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है। कृपया याद रखिये आप न तो भूखण्ड की वर्ग/माप के चयन को बदल सकते हैं और न ही अपूर्ण या बिना वांछित प्रमाण पत्रों के आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र पर आवेदक अपने हस्ताक्षर करें, अथवा बायें हाथ के अंगुठे का निशान आवश्यक रूप से लगायें।
18. भविष्य में किये जाने वाले किसी भी पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र का क्रमांक अवश्य अंकित करें आपके पते में हुए परिवर्तन की सूचना सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर को आवश्यक रूप से भिजवायें

13. आवेदन पत्र प्राप्त करने की विधि

जोधपुर शहर में व अन्य शहरों में Axis Bank बैंक शाखाओं की सूची

Name	Address	Contact No.
Jodhpur	654, Prince Tower, Near Jaljog Circle, Residency Road, Jodhpur	0291-2635865
Paota	Plot No. 1, fort Road, polo-first, Paota, Jodhpur	0291-5109921/2/3/5
Pali	Plot No. 02, Near Mastan Baba, Plot No. 02, Near Mastan Baba, Pali	02932-250172/3/4

Olympic Tower	Ground Floor, Basement and Mezzanine, shop No-3,4 and 5, Jodhpur	0291-5103207/08
Ratanada	6 A/1, Near Pwd Colony, Pokaran Banglow, Pokaran Banglow,342001	0291-2644405
Pal Road	Chopasani Aawasiya Yojna, Ashok Udhyan, Jodhpur,342006	0291-2701400
Phalodi	Ground Floor, Building No. 137,ward No. 19, (old Ward No. 10) Bhagirath Palace, Nai Sadak, Phalodi,342301	02925-222082/34/38
Barmer	Goswami Tower, Rai Colony Road, opp. Cmho Office, Barmer 344001	02982-230510/11/12
Pipar City	Ground Floor, building No 2154/7- C,vyas Bhawan, Station Road Pipar City,342601	02930-233923/4/5
Jalore	City Centre, Indirapuri Colony, Near Kanchangiri, Nakoda Ji Road Jalore-343001PH. 02973 225058	
Merta City	Nagauri Darwaja, Krishi Mandi Road, Near Prem Automobile, Merta City Ph. 01590 2301040	341510
Jaisalmer	Ground Floor, Plot No. 655,ward No. 2,hotel Vrinda Palace Near Fort, 1st Gate Shiv Road,345001 Jaisalmer PH. 02992 251138	
Sumerpur	GF,K.K. plaza, Opp. Arya Samaj BWN, W.N.-11, Sumerpur 306902	PH. 02933 258175
Balotra	E-90a, Industrial Area Phase-I, Kher Road, Balotra 344022	02988-221548/9/50

नोट: आवेदन पुस्तिका जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की वेबसाइट www.jodhpurjda.org से डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है। आवेदन पुस्तिका में संलग्न आवेदन प्रपत्र भर कर उपरोक्त AXIS बैंक की किसी भी शाखा में जमा करवाये जा सकते हैं। ऑनलाईन डाउनलोड किये गये आवेदन प्रपत्र के साथ रुपये 500/- आवेदन पत्र के अतिरिक्त शुल्क बैंक में जमा करवाना होगा।

1.4. वेबसाइट पर सूचनाओं का प्रकाशन

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा योजना के आवेदन पत्रों की प्रारम्भिक जांच में निरस्त आवेदन पत्रों के आवेदकों की सूची जोधपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर अवलोकनार्थ जारी की जावेगी। प्राप्त आवेदन पत्रों की आवंटन से पूर्व मात्र प्रारम्भिक जांच ही की जावेगी। लॉटरी के बाद मात्र सफल आवेदकों के आवेदन पत्रों की पूर्ण जांच की जावेगी। जांच आवेदन पत्र अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण अथवा निरस्त योग्य पाये जाने पर आवेदन पत्र व आवंटन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा तथा पंजीयन राशि जब्त कर ली जावेगी। योजना से संबंधित जानकारी समय समय पर प्राधिकरण की वेबसाइट www.Jodhpurjda.org पर प्राधिकरण द्वारा लिये जाने वाले निर्णय/निर्देश और सूचनाओं को उपरोक्त वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा। कृपया आवश्यक सूचनाओं हेतु उक्त वेबसाइट का अवलोकन समय समय पर करते रहें।

1.5. कंट्रोल रूम

योजना के संबंध में पूछताछ हेतु दूरभाष नं. 0291-2656357, 2656356 पर सम्पर्क किया जा सकता है। आवेदन पत्र इस पुस्तिका के साथ में दिया गया है और यह पुस्तिका जोधपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय द्वारा अधिकृत बैंकों की शाखाओं से 500/- रुपये नकद जमा करवाकर प्राप्त की जा सकती है।

1.6. आवेदन पत्र जमा करवाने की तिथि

पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 31.10.2017 तक बैंक कार्यसमय में उल्लेखित बैंकों की शाखाओं में जमा करवाये जा सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

1.7. आवेदन पत्र वापस लेने की प्रक्रिया

यदि कोई आवेदक लॉटरी से पूर्व पंजीकरण निरस्त करवाना चाहता है तो पंजीकरण राशि में से 05 प्रतिशत राशि काट कर शेष राशि लौटा दी जायेगी इस हेतु आवेदक को लॉटरी की नियत दिवस से सात दिवस पूर्व आवेदन करना अनिवार्य होगा अन्यथा उसके नाम का पंजीकरण निरस्त नहीं किया जायेगा।

18. भूखण्ड का आवंटन

आवेदको को उनसे प्राप्त आवेदन पत्रों के वर्ग के अनुसार लॉटरी निकाली जाकर जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा भूखण्ड का आवंटन किया जायेगा। जो अंतिम एवं मान्य होगा। लॉटरी निकालने की प्रस्तावित दिनांक का समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित करने की व्यवस्था की जायेगी। आवेदन पत्र के साथ अग्रिम राशि प्राप्त होने मात्र से प्राधिकरण इन योजनाओं में भूखण्ड आवंटन करने के संबंध में किसी प्रकार से कानूनी रूप से बाध्य नहीं होगा।

कृपया आवेदन पत्रों में आपका एवं आपके पिता/पति का नाम और पता स्पष्ट एवं बड़े अक्षरों में लिखें। संयुक्त नाम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

19. आवेदन पत्र भरने के लिये विशेष निर्देश

1. आवेदक अपना नाम स्पष्ट रूप से लिखें।
2. आवेदक अपने पिता अथवा पति का नाम स्पष्ट रूप से अंकित करें।
3. आवेदक अपने मनोनीत व्यक्ति का नाम एवं विवरण स्पष्ट रूप से अंकित करें।
4. आवेदक अपने परिवार की सकल मासिक आय का स्पष्ट रूप से अंकित करें एवं प्रस्तुत प्रमाण पत्र का उनसे मिलान करें। आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 02 में परिवार की कुल सकल आय के अनुरूप आयवर्ग/भूखण्ड के आकार के समक्ष सही कॉलम में टिक करें। इस संबंध में यदि परिवार में पति पत्नी एवं आश्रितों में एक से अधिक कमाऊ सदस्य है तो आवेदक पुस्तिका के विवरण अनुसार प्रत्येक सदस्य की सकल आय की पृथक पृथक गणना करते हुए निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक सदस्य के नाम सकल आय अंकित करते हुए पूरे परिवार की सकल आय का प्रमाण पत्र बनाये जावें एवं उसके अनुरूप वर्ग के भूखण्ड साईज के लिये आवेदन किया जावे। इसी अनुसार आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 6 में टिक किया जावें।
सकल आय की गणना अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः उसकी गणना सावधानी पूर्वक की जावे एवं उसके अनुरूप आय प्रमाण पत्र संलग्न किया जावें। सकल आय के अनुरूप भूखण्ड के आकार का चयन कर आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। इस संबंध में सकल आय की गलत गणना अपार्याप्त एवं गलत आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं गलत वर्ग में टिक करने अथवा आवेदन करने आदि स्थिति में जमा पंजीकरण राशि जब्त की जाकर किसी भी स्टेज पर (आवंटन के पश्चात भी) आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
5. आवेदक के पास अपना पैन नम्बर यदि हो तो आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित करें।
6. आवेदक आवेदन पुस्तिका में उल्लेखित आवेदन हेतु उपलब्ध विभिन्न आकार के भूखण्ड (वर्ग मीटर अनुसार) के लिए निर्धारित सकल आय की सीमा को ध्यान में रखते हुए भूखण्ड का चयन करें। सकल आय वर्ग अनुसार चयनित भूखण्ड आकार (वर्गमीटर) के अनुसार तालिका में सही वर्ग पर टिक करें एवं कॉलम में स्पष्ट रूप क्रॉस का निशान लगाया जावें।
10. आवेदक अपना पूर्ण पता स्पष्ट रूप से अंकित करें। इस संबंध में आवेदक अपना मोबाईल न., स्थाई पता एवं ईमेल का पता भी अवश्य अंकित करें।
11. प्रार्थी रिफण्ड हेतु बैंक शाखा का MICR & IFSC कोड भी आवश्यक रूप से अंकित करें।
12. सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षरित निम्नांकित प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है।
 1. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी राजस्थान के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र।
 2. निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी से प्रमाणित आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा विकलांग होने की स्थिति में प्रमाण पत्र।
 3. राजस्थान बार एसोसियेशन द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र।

ऑनलाईन आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया

आवेदन करने से पूर्व पया योजना की निर्देशिका को भली-भांति पढ़ व समझ ले तत्पश्चात् आवेदन निम्नानुसार प्रारम्भ करे-

1. सर्वप्रथम विभाग की वेबसाइट www.jodhpurjda.org खोले तथा उसमे रामराज नगर आवासीय योजना पर क्लिक करे।
2. आवेदक को योजना का विवरण दिखेगा तत्पश्चात् आवेदक योजना पर क्लिक करे।
3. ऑनलाइन आवेदन में आपको अपने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कर लॉग-इन आईडी व पासवर्ड बनाना होगा। जिसका ONE TIME PASSWORD (OTP) आपके मोबाइल पर प्राप्त होगा।
4. सर्व प्रथम आवेदक को अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी जिसके अंतर्गत निम्न विवरण भरें-
आवेदक की श्रेणी
आवेदक को अपना नाम
पिता/ पति का नाम
जन्म तिथि
आधार कार्ड संख्या
भामाशाह कार्ड संख्या
पत्र व्यवहार का पता/ स्थाई पता
आवेदक का व्यवसाय
5. उसके पश्चात् आवेदक को वार्षिक सकल आय (स्वयं, पति/पत्नि, आश्रित की सकल आय) का विवरण भरना होगा।
6. अधिवक्ताओं का रजिस्ट्रेशन राजस्थान बार एसोसिएशन का होना आवश्यक है जिसका प्रमाण पत्र संलग्न अवश्य करें
7. आवेदक अपने बैंक खाते का पूर्ण विवरण अंकित करे जिसमे खाता संख्या, बैंक/ बैंक शाखा, आई.एफ.एस.सी. कोड भरे।
8. आवेदक के मृत्यु की स्थिति मे अपने मनोनयन का विवरण भरे।
9. उसके पश्चात् आवेदक को अपनी फोटो, एक पहचान पत्र (आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, वोटर कार्ड मे से कोई एक) तथा निम्न दस्तावेज अपलोड करे।
 - ☞ फोटो की अधिकतम साइज 100Kb
 - ☞ पहचान पत्र अधिकतम साइज 500Kb
 - ☞ मूल निवास प्रमाण पत्र अधिकतम साइज 500Kb
 - ☞ आय प्रमाण पत्र अधिकतम साइज 500Kb
 - ☞ आरक्षित श्रेणी प्रमाण पत्र अधिकतम साइज 500Kb
 - ☞ शपथ पत्र अधिकतम साइज 500Kb
 - ☞ निरस्त चैक की प्रति

10. उसके पश्चात् SUBMIT बटन पर क्लिक करने पर आपको भरे हुए फॉर्म का विवरण दिखेगा अगर फॉर्म में परिवर्तन करना हो तो EDIT बटन पर क्लिक करे। यदि भरे हुए फॉर्म में कोई त्रुटि नहीं हैं तो FINAL SUBMIT बटन पर क्लिक करें। FINAL SUBMIT बटन पर क्लिक करने के पश्चात् फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
11. उसके पश्चात् भुगतान निम्न विधियों का उपयोग करके किया जा सकता हैं
 - ☞ ऑनलाइन भुगतान (क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग)
 - ☞ ऑफलाइन भुगतान (चालान द्वारा संबंधित बैंक में जमा किया जा सकता है)
12. भुगतान के पश्चात् फॉर्म का प्रिंट निकल कर अपने पास रख ले।
13. राशि जमा होने पर ही आवेदक का फॉर्म एक्टिव होगा तथा लाटरी में शामिल किया जायेगा।
14. फॉर्म भरने या भुगतान में किसी प्रकार की समस्या आने पर ई मेल jdajodhpur-rj@nic.in पर संपर्क कर सकते है।
15. योजना संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट www.jodhpurjda.org देखें।

सचिव

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

फोन नं. 0291-2656356

Website : jodhpurjda.org

शपथ पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पत्नि/पुत्री.....
 उम्र वर्ष निवासी शपथपूर्वक बयान
 करता/करती हूँ कि :-

1. मैं राजस्थान बार एशोसियेशन में पंजीकृत अधिवक्ता हूँ और मेरा पंजीयन क्रमांक है।
2. यह है कि मेरे पति/पत्नि/परिवार के मुझ पर आश्रित के पास राजस्थान राज्य में वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार 50000 से अधिक आबादी वाले किसी शहर में कोई पूर्ण अथवा अपूर्ण लीज होल्ड अथवा फ्री होल्ड आवासीय भूखण्ड अथवा मकान नहीं है।
3. यह है कि मैं राजस्थान का/की मूल निवासी हूँ।
4. यह है कि मैं राजस्थान निकाय भूमि निष्पादन नियम 1974 एवं राज्य सरकार तथा जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी नियमों /निर्देशों को स्वीकार करता/करती हूँ।
5. मेरे द्वारा आवेदन पत्र का भलीभाँति अध्ययन कर लिया गया है। आवेदन को मेरे द्वारा स्वयं पूर्ति की गयी है। आवेदन में दी गई समस्त सूचनाओं के लिये मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ।

हस्ताक्षर शपथगृहिता

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पत्नि/पुत्री.....
 उम्र वर्ष निवासी शपथपूर्वक बयान
 करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पत्नि/पुत्री
 उम्र वर्ष निवासी
 ने उपरोक्त शपथपत्र मेरे सम्मुख स्वयं उपस्थित होकर आज दिनांक को ली है।

हस्ताक्षर मय सील
 प्रथम श्रेणी दण्डनायक/
 कार्यपालक मजिस्ट्रेट/नोटेरी पब्लिक

निःशक्तता प्रमाण-पत्र

क्रमांक/

दिनांक :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
पुत्र/पुत्री/पति श्री
निवासी ग्राम/नगर
जिला की मेरे द्वारा चिकित्सकीय जांच की गयी। ये शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति है। इनकी निःशक्तता का प्रतिशत है।

प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी

के हस्ताक्षर मय मोहर

नोट: पूर्व में जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की जा सकती है।

मूल निवास प्रमाण-पत्र

क्रमांक/

दिनांक :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री
पुत्र/पुत्री/पति श्री
निवासी
ग्राम/नगर जिला
राज्य का मूल निवासी है।

स्थान:-

दिनांक :-

उप जिला मजिस्ट्रेट/प्राधिकृत अधिकारी/

तहसीलदार के हस्ताक्षर मय मोहर

आय प्रमाण-पत्र

क्रमांक/

दिनांक:

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

पुत्र/ पत्नि/पुत्री श्री जाति

निवासी नगर/ग्राम तहसील जिला

राज्य की स्वयं एवं पत्नी/पति तथा आश्रितों की सकल आय

(अखरे रूपये प्रतिमाह है।

प्रथम श्रेणी दण्डनायक/राजस्व तहसीलदार/

उपखण्ड अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी

/स्व अनुप्रमाणित।

दिनांक :

स्थान :

(इस हेतु केवल राजस्थान सरकार/ भारत सरकार के प्रथम श्रेणी दण्डनायक/ राजस्व तहसीलदार /उपखण्ड अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी से हस्ताक्षर कराये जाने हैं। इसके अतिरिक्त स्व अनुप्रमाणित आय प्रमाण पत्र भी मान्य होगा।

नोट:- 1. परिवार में एक से अधिक कमाऊ सदस्य होने पर प्रत्येक सदस्य का नाम, संबंध एवं सकल आय का पृथक-पृथक अंकन करते हुए कुल आय का प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

अनुसूचित जाति/ जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण-पत्र

क्रमांक/

दिनांक :

प्रमाणित किया जाता है कि श्री /श्रीमती

पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री

निवासी नगर/ग्राम तहसील जिला

राज्य जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित

जाति/ जनजाति (सूची) संशोधन अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/ जनजाति में शुमार है।

आज दिनांक को यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षर तथा इस न्यायालय की मोहर से जारी किया गया है।


(जो लागू नहीं हो उसे काट दें)

हस्ताक्षर
तहसीलदार/ उपखण्ड अधिकारी
कार्यालय की मोहर

नोट : सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्व में जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न की जा सकती है।

RAM RAJ NAGAR

PROPOSED LAY OUT PLAN OF RESIDENTIAL COLONY ON KHASRA NO. 72, 65, 627, 69, 70, 71, 623, 624, 626 OF VILLAGE CHOKHA AT JODHPUR



जोधपुर महानगर बनने की ओर अग्रसर जोधपुर विकास प्राधिकरण का योगदान हर कदम पर।

रामराज नगर आवासीय योजना के मुख्य आकर्षण

- * जोधपुर जैसलमेर (200 फुट) हाईवे पर ।
- * लहरिया रिसोर्ट के समीप ।
- * आखलिया चौराहे से 8 किमी. ।
- * चौपासनी मंदिर से 4 किमी. ।

विश्वस्तरीय शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना

- * भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
- * अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
- * राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान
- * राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय
- * फुटवियर डिजाइन व डवलपमेन्ट इंस्टीट्यूट
- * सेन्ट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट
- * डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च इंस्टीट्यूट
- * आयुर्वेद विश्वविद्यालय
- * उपक्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र
- * भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान केन्द्र
- * शुष्क वन अनुसंधान केन्द्र

प्राधिकरण की परियोजनाएँ

- * विज्ञान नगर आवासीय योजना
- * मण्डलनाथ आवासीय योजना
- * ई-ऑक्शन लागू
- * GIS मैपिंग व्यवस्था
- * रिक्तिया भैरुजी मल्टीलेवल ओवरब्रिज (कार्य प्रगति पर)
- * सारण नगर आर.ओ.बी. निर्माण
- * फाईल मॉनिटरिंग व्यवस्था लागू
- * अरणा विहार आवासीय योजना
- * झरणा विहार आवासीय योजना
- * मुख्यमंत्री जनआवास योजना